UPAU010028372026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, औरैया

उपस्थितः–**पारूल जैन, (उच्चतर न्यायिक सेवा)** J.O. Code UP–2391

दण्ड निगरानी संख्या–55/2026

1. रामकुमार पुत्र स्व० काशीराम
2. सौभाग्यवती पत्नी श्री रामकुमार
3. अनुपम उर्फ अंजलि पुत्री श्री रामकुमार
4. मानसी पुत्री श्री रामकुमार
5. विकास उर्फ मोनू पुत्र श्री रामकुमार

सर्व निवासीगण ग्राम कोठीपुर, थाना फफूंद, जनपद औरैया।

.....निगरानीकर्तागण

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता दण्ड, औरैया।
2. वन्दना पत्नी श्री रामकुमार निवासिनी ग्राम कोठीपुर, थाना फफूंद जनपद औरैया।

..... प्रत्युत्तरदातागण

अन्तर्गत धारा- 438, 440 बी.एन.एस.एस.
थाना-फफूंद, जिला-औरैया।

निर्णय

1. मौजूदा निगरानी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर सिविल जज सी.डि., औरैया द्वारा **एफ.आर. संख्या 23/2026 श्रीमती बन्दना बनाम विकास उर्फ मोनू आदि** में पारित आदेश दिनांक **23.05.2026** के विरूद्ध दाखिल की गयी है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 23.05.2026 को यह आदेश पारित किया गया कि "थानाध्यक्ष फफूंद द्वारा प्रस्तुत अन्तिम रिपोर्ट संख्या 57/2025 निरस्त की जाती है। प्रस्तुत प्रकरण राज्यवाद के रूप में दर्ज किया जाता है। अभियुक्तगण विकास उर्फ मोनू, मानसी, अनुपम उर्फ अंजली, सौभाग्यवती व रामकुमार अन्तर्गत धारा 191(2),115(2),352, 351(2), 333, 76 बी.एन.एस. जरिए समन दिनांक 23.06.2026 को पेश हो", जिससे क्षुब्ध होकर मौजूदा निगरानी दाखिल की गयी है।

2. निगरानीकर्तागण द्वारा निगरानी कागज संख्या 3क/1 लगायत 3क/7 में वर्णित किया गया है कि प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 द्वारा निगरानीकर्तागण के विरुद्ध न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 174 (4) बी०एन०एस०एस० के आधार पर थाना हाजा पर दिनांक 31.08.2025 को मुकदमा अपराध संख्या 316 सन 2025 अन्तर्गत धारा 191 (2), 115 (2), 352, 351 (2), 333, 76 बी०एन०एस० के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत करवाया गया था। विवेचना के दौरान विवेचनाधिकारी द्वारा समस्त साक्ष्यों व गवाहों के बयान तथा अभिलेखीय साक्ष्यों का परीक्षण करने के उपरान्त यह पाया गया कि अभियोग असत्य

Digitally signed by PARUL JAIN
Date: 2026.08.13 16:06:33 IST
Reason: Document Owner
Location: Additional District and Sessions Court-1, Auraiya

एवं द्वेषपूर्ण निगरानीकर्तागण के विरुद्ध पंजीकृत करवाया गया है, जिसके फलस्वरूप विवेचनाधिकारी द्वारा बाद विवेचना अन्तिम रिपोर्ट संख्या 23 सन 2026 विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। अन्तिम रिपोर्ट पर प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 द्वारा अपनी विरोध याचिका विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 23.05.2026 को पारित आदेश द्वारा अन्तिम रिपोर्ट निरस्त करते हुए प्रस्तुत प्रकरण राज्य वाद के रूप में दर्ज किए जाने के साथ निगरानीकर्तागण को अन्तर्गत धारा 191 (2), 115 (2), 352, 351 (2), 333, 76 बी०एन०एस० जरिए समन दिनांक 23.06.2026 को विचारण हेतु तलब कर राज्य बनाम विकास उर्फ मोनू आदि के रूप में मुकदमा चलाने का आदेश पारित कर दिया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि–विरुद्ध एवं तथ्यों के विपरीत तथा न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किए बिना पारित किया गया है, जो निरस्त होने योग्य है। प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 द्वारा अपनी लिखित तहरीर में जिन तथ्यों एवं घटना का उल्लेख किया गया था, वे तथ्य प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 180 बी०एन०एस०एस० में अंकित नहीं करवाए गए हैं और न ही विचारण न्यायालय के समक्ष दिए गए अपने बयान अन्तर्गत धारा 183 बी०एन०एस०एस० में अंकित करवाए गए हैं। अतः प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 द्वारा लिखायी गयी अपनी तहरीर एवं पुलिस के समक्ष दिए गए बयान अन्तर्गत धारा 180 बी०एन०एस०एस० तथा विचारण न्यायालय के समक्ष दिए गए अपने बयान अन्तर्गत धारा 183 बी०एन०एस०एस० में काफी विरोधाभाष एवं भिन्नता होने के बावजूद भी पत्रावली का समुचित अवलोकन किए बिना ही विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त आदेश दिनांकित 23.05.2026 पारित कर दिया गया है, जो निरस्त किए जाने योग्य है। प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष दिए गए बयान अन्तर्गत धारा 183 बी०एन०एस०एस० में अपनी तहरीर से भिन्न अभियुक्तगण के नाम और घटना को भी बताया गया है, जिसमें गम्भीर विरोधाभाष एवं भिन्नता विद्यमान होने के बावजूद भी विचारण न्यायालय द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है और उपरोक्त प्रश्नगत आदेश दिनांकित 23.05.2026 पारित कर दिया गया है। निगरानीकर्ता संख्या 5 विकास उर्फ मोनू घटना के दिनांक को घटना के समय घटनास्थल पर उपस्थित ही नहीं था, बल्कि वह अपनी मौसी के यहां गया हुआ था, जहां पर उसकी डिसएन्ट्री व वीकनेस की स्थिति में तबियत खराब हो गयी थी और उसने पी०एच०सी० बेला, जनपद औरैया में इमरजेन्सी वार्ड पंजीकरण संख्या ई–7/25 इमरजेन्सी का पर्चा लेकर दिनांक 21.07.2025 को सुबह 07:35 बजे डॉ० चन्द्रशेखर उप चिकित्साधिकारी पी०एच०सी० बेला द्वारा इमरजेन्सी में छः घन्टे लगातार भर्ती करके उसका उपचार किया गया था और तत्पश्चात् डॉक्टर ने 03 दिवस के लिए बैड रेस्ट की सलाह दी थी। उक्त के सम्बन्ध में पत्रावली पर निगरानीकर्ता संख्या 5 का मेडिकल प्रपत्र पूर्व से ही मौजूद है, साथ ही विवेचनाधिकारी द्वारा एस०सी०डी० पर्चा नम्बर 1 दिनांक 24.12.2025 भी किता किया गया है, जिसमें डॉ० चन्द्रशेखर उप चिकित्साधिकारी पी०एच०सी० बेला के बयान भी अंकित हैं, जिसको भी विचारण न्यायालय द्वारा जानबूझ कर नजरअन्दाज करते हुए प्रश्नगत आदेश दिनांकित 23.05.2026 पारित कर दिया गया है जो निरस्त होने योग्य है। विवेचनाधिकारी द्वारा एस०सी०डी० पर्चा नम्बर दिनांकित 24.12.2025 में चश्मदीद साक्षी बलराम पुत्र मंगूलाल, लालाराम पुत्र मुंशीलाल के बयान अंकित किए गए हैं, जिन्होंने स्पष्ट कहा है कि निगरानीकर्तागण व प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 के मध्य रास्ते को लेकर विवाद चल रहा है, जिस कारण पुरानी रंजिश आपस में है। उक्त के सम्बन्ध में निगरानीकर्ता संख्या 2 श्रीमती सौभाग्यवती द्वारा थाना फफूंद पर एन०सी०आर० संख्या 162/2025 सौभाग्यवती बनाम शिववती आदि दिनांक 21.07.2025 को समय 12:29 बजे पंजीकृत करवायी गयी थी और पुलिस ने प्रत्युत्तरदाता

संख्या 2 के पति राजकुमार को गिरफ्तार करके अन्तर्गत धारा 170 बी०एन०एस०एस० के तहत उप जिलाधिकारी के यहां चालान प्रेषित किया गया था। इसी के चलते रंजिश मानकर व खिसियाकर मनगढ़न्त तथा झूठा एवं तथ्यहीन आरोप लगाकर उपरोक्त मुकदमा निगरानीकर्तागण के खिलाफ पंजीकृत करवा दिया गया था, जबकि उपरोक्त साक्षीगण निगरानीकर्तागण तथा प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 के पड़ोस के ही निवासी हैं, उन्होंने कोई भी घटना प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 के साथ होते हुए नहीं देखी है, जबकि उक्त दोनों साक्षीगण प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 द्वारा बतायी गयी घटना के दिनांक और समय पर अपने घर पर मौजूद थे। इन तथ्यों को भी विचारण न्यायालय द्वारा नजरअन्दाज करते हुए अपना प्रश्नगत आदेश दिनांकित 23.05.2026 को मनमाने ढंग से पारित कर दिया गया है। विवेचनाधिकारी द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक परीक्षण करने के उपरान्त ही विचारण न्यायालय के समक्ष उपरोक्त मुकदमा में अपनी अन्तिम आख्या प्रस्तुत की गयी थी, जिसको पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा भी सही ठहराया गया था, किन्तु विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, चिकित्सीय अभिलेखों एवं स्वतंत्र साक्षीगण के बयानों एवं गम्भीर विरोधाभाष होने पर विचार किए बिना ही यान्त्रिक रूप से अन्तिम आख्या निरस्त करते हुए अपना प्रश्नगत आदेश दिनांकित 23.05.2026 पारित कर दिया गया है, जो निरस्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 23.05.2026 न्यायोचित, विधिसम्मत एवं टिकाऊ नहीं है तथा आदेश पारित करते समय न्यायिक विवेक का समुचित प्रयोग नहीं किया गया हैं विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 23.05.2026 यदि प्रभावी रहा तो निगरानीकर्तागण की अपूर्णनीय क्षति होगी। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों को दृष्टिगत रखते हुए निगरानीकर्तागण की निगरानी स्वीकार कर विचारण न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन औरैया से अभिलेख मंगवाया जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत तलबी आदेश दिनांकित 23.05.2026 अपास्त किए जाने के साथ निगरानी लम्बित रहने तक विचारण द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 23.05.2026 के प्रभाव एवं कार्यवाही पर स्थगन आदेश पारित किए जाने योग्य है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों को दृष्टिगत् रखते हुए निगरानीकर्तागण की निगरानी स्वीकार कर विचारण न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन औरैया से अभिलेख मंगवाया जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत तलबी आदेश दिनांकित 23.05.2026 अपास्त किए जाने के साथ निगरानी लम्बित रहने तक विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 23.05.2026 के प्रभाव एवं कार्यवाही पर स्थगन आदेश पारित करने की प्रार्थना की गयी है।

3. निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.05.2026 विधि विरूद्ध बताते हुये निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. वही दूसरी तरफ राज्य की तरफ से विद्वान ए.डी.जी.सी. (क्रिमिनल) एवं विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रश्नगत निर्णय को विधि सम्मत बताते हुये पुष्ट किये जाने की प्रार्थना की।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्क सुने, निगरानी पत्रावली व तलवीदा विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

6. पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि सम्बन्धित न्यायालय द्वारा दिनांक 23.05.2026 को अंतिम रिपोर्ट निरस्त करते हुये निगरानीकर्तागण को समन द्वारा तलब किये जाने का आदेश पारित किया गया है।

7. यह विधि द्वारा अवधारित है कि जब पुलिस किसी मामले में क्लोजर या अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में पेश करती है, तो विद्वान मजिस्ट्रेट के पास उसे स्वीकार करने, अस्वीकार करने, दोबारा जांच के आदेश देने या खुद संज्ञान लेकर आरोपी को तलब करने की पूर्ण न्यायिक शक्ति होती है।

8. अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने के उपरान्त सम्बन्धित मजिस्ट्रेट के पास विधि के अनुसार निम्न विकल्प और शक्तियां प्राप्त है-

(i) अंतिम रिपोर्ट स्वीकार करना: यदि विद्वान मजिस्ट्रेट संतुष्ट हैं कि केस में कोई साक्ष्य नहीं है, तो वे रिपोर्ट स्वीकार कर मामले को बंद कर सकते हैं, बशर्ते वे पहले शिकायतकर्ता/पीड़ित को नोटिस देकर उसका पक्ष सुनें।

(ii) अस्वीकार करना और संज्ञान लेना: विद्वान मजिस्ट्रेट पुलिस की इस बात से सहमत होने के लिए बाध्य नहीं हैं। वे पुलिस रिपोर्ट को दरकिनार कर उपलब्ध बयानों और दस्तावेजों के आधार पर अपराध का स्वतः संज्ञान ले सकते हैं और आरोपी को समन जारी कर सकते हैं।

(iii) पुनः जांच के आदेश देना: विद्वान मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारियों को मामले की फिर से या आगे की जांच करने का निर्देश दे सकते हैं यदि उन्हें लगे कि जांच अधूरी है।

(iv) प्रोटेस्ट याचिका पर सुनवाई: यदि पीड़ित पक्ष अंतिम रिपोर्ट के खिलाफ 'प्रोटेस्ट पेटिशन' या विरोध याचिका दायर करता है, तो विद्वान मजिस्ट्रेट उसे एक शिकायत की तरह मानकर आगे की प्रक्रिया चला सकते हैं।

9. It has been held by Hon’ble Supreme Court in Rakesh Vs. State of UP, AIR 2014 SC 3509 that Magistrate can take cognizance on protest petition/complaint even after acceptance of final report.

10. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था **Amit kapoor vs Ramesh Chandra (2012) 9 SCC 460 (para, 12)** में यह अवधारित किया गया है कि Finding of facts recorded by lower court to be disturbed by the revisional court only when the same are perverse. The jurisdiction can be excersied where there is palpable error, non compliance with the provisions of law, decision is completely erroneous or where the judicial discretion is excersied arbitrarily. When the finding recorded by the lower court are based on no evidence, material evidence is ignored or judicial discretion has been exercised arbitrarily or perversely, the revisional court can interfere in exercise of it's power.

11. सम्बन्धित न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.05.2026 पत्रावली पर मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुरूप है। विचारण न्यायालय द्वारा किसी भी साक्ष्य एवं

भौतिक साक्ष्य की अनदेखी नहीं की गयी है एवं कानून के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

12. उक्त समस्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का यह अभिमत है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश तथ्यपरक एवं विधिसंगत है, प्रश्नगत आदेश में कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है तथा विचारण न्यायालय द्वारा अपनी क्षेत्राधिकारिता का सम्यक सदुपयोग किया जाना परिलक्षित होता है। इस न्यायालय के अभिमत में विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 23.05.2026 स्थिर रहने योग्य है। तदनुसार निगरानीकर्तागण की ओर से योजित दण्ड निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

दण्ड निगरानी संख्या **55/2026 रामकुमार आदिं बनाम उ०प्र० राज्य एव अन्य** निरस्त की जाती है तथा विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर सिविल जज सी.डि., औरैया द्वारा पारित आदेश दिनांकित 23.05.2026 पुष्ट किया जाता है। अभियुक्तगण सम्बन्धित न्यायालय में नियत दिनांक को उपस्थित हो।

दण्ड निगरानी के आदेश की प्रति के साथ विचारण न्यायालय का अभिलेख, तुरन्त वापस किया जाये। दण्ड निगरानी की पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–13.08.2026

(पारूल जैन)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
औरैया।

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोषित किया गया ।

दिनांक– 13.08.2026

(पारूल जैन)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
औरैया।